

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 3 ( )लेखा/प्रमुवसं/ब/2013-14/10474-588 दिनांक: 8-3-17

समस्त वनाधिकारीगण।


विषय:-वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों के सम्बंध में।  
संदर्भ:-इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 8582-701 दिनांक 11.01.2017, अरण्य भवन में बैठक दिनांक 31.01.2017 एवं पत्र क्रमांक 9518-637 दिनांक 07.02.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये बैंक खातों को अविलम्ब बन्द करते हुए सूचना दिनांक 28.02.2017 तक भिजवाने एवं किसी कार्यालय को बैंक खाते की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग की अनुमति के लिए विस्तृत प्रस्ताव अविलम्ब भिजवाये जाने हेतु लिखा था लेकिन आज दिनांक तक भी अधिकांश कार्यालयों द्वारा सूचना नहीं भिजवायी गयी है।

अतः सूचना शीघ्रातिशीघ्र भिजवायी जावे ताकि आवश्यक/अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


भवदीय,

  
वित्तीय सलाहकार  
वन विभाग  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 3 ( )लेखा/प्रमुवसं/ब/2013-14/10589

दिनांक: 8-3-17

प्रतिलिपि:-उप वन संरक्षक, आई.टी., अरण्य भवन को विभाग की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।

  
वित्तीय सलाहकार  
वन विभाग  
राजस्थान, जयपुर